



बिहार विधान सभा

कार्य सूची

सप्तदश विधान सभा

चतुर्थ सत्र

बुधवार, तिथि 01 दिसम्बर, 2021 ई०
10 अग्रहायण, 1943 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

प्रश्नोत्तर

1. अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

2. श्री नीतीश मिश्रा, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [ग्रामीण कार्य विभाग] की ओर से वक्तव्य ।
3. सर्वश्री अमरजीत कुशवाहा, सुदामा प्रसाद एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [पर्यटन विभाग / कला, संस्कृति एवं युवा विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

4. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 के प्रतिवेदनों यथा "वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2)", "विनियोग लेखे" तथा "राज्य का वित्त" जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
5. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 के प्रतिवेदनों यथा "वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2)", "विनियोग लेखे" तथा "राज्य का वित्त" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो" ।
6. बिहार विधान सभा के समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना ।
7. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो) ।

मध्याह्न-विराम (1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)

विधायी कार्य
राजकीय विधेयक

“बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021”

8. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राम सूरत कुमार प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
9. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राम सूरत कुमार उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
10. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राम सूरत कुमार प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021” पर विचार हो ।
11. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राम सूरत कुमार प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021” स्वीकृत हो ।
12. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो) ।

शैलेन्द्र सिंह

सचिव,


बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-12/2021-

3265

/वि०स०, पटना, दिनांक- 30 नवम्बर, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार/ राज्यपाल के सचिव, बिहार/ कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / संसदीय कार्य विभाग / विधि (विधान) विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता बिहार, पटना उच्च न्यायालय / लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली / सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(राजीव कुमार)

उप सचिव,


बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-12/2021-

3265

/वि०स०, पटना, दिनांक- 30 नवम्बर, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के अवलोकनार्थ प्रेषित ।


(राजीव कुमार)

उप सचिव,


बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-12/2021-

3265

/वि०स०, पटना, दिनांक- 30 नवम्बर, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के उप सचिवगण/ अवर सचिवगण / श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित ।


(राजीव कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।


30/11/21